

न्यायालय – राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम० के० सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 76-१/2016 विरुद्ध आदेश दिनांक 30-12-2015 पारित द्वारा नायब तहसीलदार वृत अमायन प्रकरण क्रमांक 30/2014-15/अ-6

- 1— महिला गुडडी पुत्री स्व. श्री फूलसिंह
पत्नी श्री रामनिवास निवासी ग्राम गहेली
परगना मेहगांव जिला भिण्ड हाल निवास
भटपुरा नदी तहसील अम्वाह जिला मुरैना
(म.प्र.)
- 2— महिला ज्योति पुत्री स्व. श्री फूलसिंह
पत्नी श्री आशीष निवासी ग्राम गहेली
परगना मेहगांव जिला भिण्ड (म.प्र.)आवेदिकागण

विरुद्ध

भास्कर त्यागी पुत्र श्री रामनारायण त्यागी
जाति ब्राह्मण निवासी गहेली मेहगांव जिला
जिला भिण्ड (म.प्र.)अनावेदक

(आवेदिकागण की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ट शर्मा)

(अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा)

८८

:: आदेश ::

(आज दिनांक ४ फरवरी, 2017 को पारित)

यह निगरानी आवेदिकागण द्वारा नायब तहसीलदार वृत अमायन के प्रकरण क्रमांक 30/2014-15/अ-6 में पारित आदेश दिनांक 30-12-2015 से परिवेदित होकर, म०प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2— प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा मौजा गहेली स्थित भूमि सर्वे नंबर 28/2 रक्खा 0.115, 37, 38, 39 रक्खा 0.136, 248 रक्खा 0.334,

f/m

OM

2812/1 रक्बा 0.439, 2826 रक्बा 0.230 कुल किता-7 कुल रक्बा 1.254 हैक्टर भूमि पर जर्ये रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 14-8-2012 के आधार पर नामांतरण चाहा गया। जिस पर से नायब तहसीलदार वृत्त अमायन द्वारा प्रकरण क्रमांक 30/2014-15/अ-6 पर दर्ज किया गया। जिसमें आवेदिकागण द्वारा दिनांक 5-10-2015 को म.प्र.भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा-32 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 मेंहगांव के निर्णय तक प्रकरण की कार्यवाही स्थगित किये जाने का निवेदन किया जिसे नायब तहसीलदार द्वारा अन्तिरिम आदेश दिनांक 30-12-2016 पारित कर खारिज किया जाकर, प्रकरण प्रतिपरीक्षण आवेदक साक्ष्य पर नियत किया गया। नायब तहसीलदार के इस आलोच्य आदेश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3— आवेदिकागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि, आवेदिकागण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा-32 का आवेदन पेश किया जाकर प्रकरण में की जा रही कार्यवाही स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया था किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदिकागण की आपत्ति को नजरअंदाज करते हुये मनमाने तौर पर निरस्त किया गया है।

उनका तर्क है कि, आवेदिकागण के द्वारा विवादित भूमि के संबंध में एक दीवानी दावा प्रकरण क्रमांक 91 ए/2015 ई.दी. अपने स्वत्व संबंध में तथा उपरोक्त विक्रय पत्र को निरस्त कराने हेतु व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 मेंहगांव के समक्ष 9-9-2015 को प्रस्तुत किया गया है जो अभी विचाराधीन है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय को कार्यवाही स्थगित किया जाना चाहिए थी। जो उनके द्वारा न की जाकर आवेदिकागण द्वारा प्रस्तुत धारा-32 का आवेदन पत्र निरस्त करने में कानूनन भूल की गई है। अंत में उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

4— अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि, अनावेदक द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण की मांग की गई है। माननीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 मेंहगांव के समक्ष लम्बित दीवानी

दावा प्रकरण क्रमांक 91 ए/2015 ई.दी. में आवेदिकागण के हक में स्वत्व के संबंध में कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है। अंत में अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायदृष्टान्त 1977 आर. एन. 386, 1976 आर.एन 475, 1976 आर. एन. 407 (डी.वी. राजस्व मण्डल), 1979 आर. एन. 590, 1980 आर. एन. 277 का हवाला देते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एंव अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि, प्रकरण में विवादित भूमि पर अनावेदक द्वारा जर्य रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नायब तहसीलदार के समक्ष नामान्तरण की मांग की गई है। जिसमें आवेदिकागण द्वारा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 मेहगांव के समक्ष वाद लम्बित होने के आधार पर आपत्ति की जाकर, प्रचलित कार्यवाही को स्थगित कराने हेतु म.प्र.भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा-32 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया जिसे नायब तहसीलदार द्वारा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 मेहगांव से आवेदिका के पक्ष में कोई स्थगन आदेश न होने के कारण खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार वृत अमायन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-12-2015 विधिसम्मत होने से स्थिर रखा जाकर आवेदिकागण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। उभयपक्ष सूचित हो। प्रकरण दाखिला रिकार्ड हों।



(एस.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश, ग्वालियर